संख्या-71/2015/342/22-4-15-48(12)/14

प्रेषक,

आर0 के0 द्विवेदी

उप सचिव

उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

महानिरीक्षक

कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवाएं

उ0प्र0, लखनऊ।

कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवाएं अनुभाग 4 लखनऊ दिनांक-23 मार्च, 2015

विषय- जिला कारागार, रायबरेली के कृषि फार्म हेतु कृषि यंत्र रोटावेटर 02 मी0(सोनालिका मेक) 01 नग एवं पोटैटो डिगर(डबल जाल) 01 नग के क्रय हेतु प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या- 40422/कृषि-2-115/2010, दिनांक- 30.12.2014 के सन्दर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि महामहिम श्री राज्यपाल महोदय द्वारा वर्तमान वित्तीय वर्ष 2014-15 के आय-व्ययक के अनुदान संख्या- 25 के अन्तर्गत राजस्व लेखाशीर्ष-2056 के अन्तर्गत 101-03-समस्त कारागार के मानक मद-26 मशीने और साज-सज्जा/उपकरण एवं संयंत्र के मद में प्राविधानित बजट रू0 114.65 लाख के सापेक्ष जिला कारागार, रायबरेली के कृषि फार्म हेतु 01 नग रोटावेटर(सोनालिका मेक) के क्रय हेतु धनराशि रू0 97,222/- एवं 01 नग पोटैटो डिगर धनराशि रू0 54,075/- अर्थात कुल धनराशि रू0 1,51,297 (रूपया एक लाख इक्यावन हजार दो सौ सत्तानवे मात्र) की स्वीकृति निम्नलिखित शर्तों के अधीन प्रदान करते हैं :-

(1) प्रस्ताव में अंकित सामग्री का क्रय, भण्डार क्रय नियमों एंव संगत नियमों/शासनादेशों में उल्लिखित व्यवस्था के अनुसार क्रय प्रक्रिया के अन्तर्गत सभी औपचारिकताओं की पूर्ति करते हुए किया जायेगा और इसका दायित्व महानिरीक्षक कारागार का होगा।

(2) स्वीकृत धनराशि का उपयोग दिनांक 31.03.2015 तक कर लिया जाये।

(3) स्वीकृत की जा रही धनराशि बैंक खाता अथवा पी0एल0ए0 में नहीं रखी जायेगी।

(4) धनराशि जिस प्रायोजना हेतु स्वीकृत की जा रही है उसी पर व्यय की जायेगी। व्यय के पश्चात यदि कोई धनराशि शेष बचती है तो वह उसे यथा समय समर्पित कर दिया जायेगा।

2- इस निमित्त होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2014-15 के आय-व्ययक के अनुदान संख्या-25 के अन्तर्गत लेखाशीर्षक "2056-जेलें-101-जेल-03-समस्त कारागार की मानक मद-26-मशीनों और सज्जा/उपकरण एवं संयंत्र मद में प्राविधानित धनराशि के सापेक्ष से वहन किया जायेगा

3- यह आदेश वित्त विभाग के कार्यालय ज्ञाप संख्या-बी-1-2457/दस-2014-231/2014, दिनांक 22.07.2014 में प्रशासकीय विभाग को प्रतिनिधानित अधिकारों के अधीन जारी किये जा रहे हैं।

भवदीय,

(आर0के0द्विवेदी)

उप सचिव

http://shasanadesh.up.nic.in

संख्या-71/2015/342 (1)/22-4-15-तददिनांकित-

प्रतिलिपि-निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-

(1) प्रधान महालेखाकार(सिविल आडिट) उ0प्र0, इलाहाबाद।

(2) महालेखाकार(लेखा एवं हकदारी) उ0प्र0, इलाहाबाद।

(3) मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।

(4) निदेशक, वित्तीय सांख्किीय निदेशालय, जवाहर भवन, लखनऊ।

(5) वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग-12/वित्त (आय- व्ययक) अनुभाग-1/2

(6) गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(आर0के0द्विवेदी)

उप सचिव

http://shasanadesh.up.nic.in